उत्तर प्रदेश शासन

राज्य योजना आयोग-1

(नियोजन विभाग)

संख्या-1/2016/2(1)/35-आ-1/2014-15

लखनऊः दिनांकः 24 मई,2016

राज्य योजना आयोग अनुभाग-1 के पूर्वनिर्गत आदेश/पत्र संख्या-2(1)35-आ-1/2014-15 दिनांक 5 जून, 2015 के द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से श्री आकिल मुर्तजा पुत्र श्री मोहम्मद उमर, निवासी- जैदीनगर सोसायटी (गुरूद्वारा के सामने) मेरठ को एक वर्ष के लिए राज्य योजना आयोग उत्तर प्रदेश का सदस्य नामित किया गया था, के क्रम में श्री आकिल मुर्तजा, सदस्य राज्य योजना आयोग का कार्यकाल पुनः एक वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है।

अरूण कुमार सिन्हा
प्रमुख सचिव

संख्या-1/2016/2(1)/35-आ-1/2014-15 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

01- **श्री आकिल मुर्तजा पुत्र श्री मोहम्मद उमर, निवासी- जैदीनगर सोसाईटी (गुरूद्वारा के सामने) मेरठ।**
02- **महामहिम श्री राज्यपाल के प्रमुख सचिव।**
03- **मा0 अध्यक्ष राज्य योजना आयोग के निजी सचिव।**
04- **मा0 उपाध्यक्ष, राज्य योजना आयोग के निजी सचिव।**
05- **समस्त मा0 मंत्रीगण के निजी सचिव।**
06- **समस्त मा0 राज्य मंत्रीगण के निजी सचिव।**
07- **मुख्य सचिव के निजी सचिव।**
08- **समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उ0प्र0 शासन।**
09- **महा लेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद।**
10- **समस्त विभागाध्यक्ष उ0प्र0।**
11- **समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0।**
12- **समस्त जिलाधिकारी उ0प्र0।**
13- **निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 इलाहाबाद को राजकीय गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ।**
14- **प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन विभाग।**
15- **प्रमुख सचिव राज्य सम्पत्ति विभाग।**

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।**
2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।**

http://shasanadesh.up.nic.in

16- **समस्त प्रभागाध्यक्ष राज्य नियोजन संस्थान।**

17- **नियोजन विभाग के समस्त अधिकारी/अनुभाग/राज्य योजना आयोग-1/2/भूमि उपयोग परिषद।**

18- **गोपन अनुभाग-1 ।**

19- **इरला चेक अनुभाग।**

20- **मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ।**

21- **आहरण एवं वितरण अधिकारी नियोजन सचिव शाखा।**

22- **अनुभाग अधिकारी (लेखा) नियोजन सचिव शाखा।**

23- **गाईड फाइल।**

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.nic.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**